कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

दिनांक -07.11.2026

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा सगे भाईयों द्वारा सगी बहन की गला दबाकर हत्या करने की सनसनीखेज घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त (एक बाल अपचारी सहित) गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06/11/2026 को वादी तेरस बिन्द पुत्र स्व० बिरजू बिन्द निवासी ग्राम जखांव, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 04.11.2026 को उनकी पुत्री किसी से मोबाइल पर बात करने को लेकर उनके पुत्रों द्वारा अपनी बहन से कहासुनी हुई, जिसके बाद आवेश में आकर दोनों भाईयों ने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से घटना को फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना गोपीगंज पर मु०अ०सं० 441/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी , पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में दिनांक 06/11/2026 को मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने व साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सूरज बिन्द पुत्र तेरस बिन्द, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम जखांव, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।
2. (बाल अपचारी) उम्र लगभग 16 वर्ष, निवासी ग्राम जखांव, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस द्वारा की गई विस्तृत पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 04.11.2026 को उनकी बहन द्वारा एक लड़के से फोन पर बात किए जाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात से क्षुब्ध होकर और आवेश में आकर उन दोनों ने मिलकर बहन का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के माता-पिता द्वारा भी दोनों की संलिप्तता की बात स्वीकार की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री सेतान्शु शेखर पंकज (प्रभारी निरीक्षक / विवेचक, थाना गोपीगंज)

2. आरक्षी नागरिक पुलिस सर्वेश कुमार (अपचारी संरक्षण टीम)